



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082023-247831
CG-DL-E-03082023-247831

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]
No. 459]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 2023/श्रावण 12, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2023/SHRAVANA 12, , 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

संख्या 07/2023 - सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 586(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया और कोरिया गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “डिस्पर्सन अनशिफ्टेड सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 9001 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना फाइल संख्या 6/1/2022-डीजीटीआर, दिनांक 05 मई, 2023, जिसे दिनांक 05 मई, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था के साथ पठित शुद्धि-पत्र अधिसूचना मामला सं. ए.डी. (ओआई)-01/2022 फाइल संख्या 6/1/2022-डीजीटीआर, दिनांक 30, जून, 2023, में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि –

- विषयगत माल का विषयगत देशों से भारत को निर्यात इसके सामान्य से कम मूल्य पर किया गया था;
- विषयगत देशों से होने वाले इस प्रकार के आयात से यहां के उद्योगों को सारवान क्षति हुई है; और

(iii) इस प्रकार की सारवान क्षति विषयगत देशों से हुए विषयगत माल के पाटित आयात के कारण हुई है;

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत माल के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः, अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर, एतद्वारा, विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्रम सं.	सीटीएच शीर्षक	माल का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	ड्यूटी*** (यूएसडी/किएफकेएम)
कॉलम (1)	कॉलम (2)	कॉलम (3)	कॉलम (4)	कॉलम (5)	कॉलम (6)	कॉलम (7)
1.	9001 10 00	सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर**	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. समेत कोई भी देश	जियांगसू स्टरलाइट फाइबर टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड	122.41
2.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. समेत कोई भी देश	जियांगसू फास्टन फोटोनिक्स कं., लिमिटेड	254.91
3.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. समेत कोई भी देश	हैंगज्हाऊ फुतोंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	464.08
4.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. समेत कोई भी देश	क्रम सं. 1 से 3 के अलावा कोई भी उत्पादक	537.30
5.	-वही-	-वही-	विषयाधीन देशों के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी उत्पादक	537.30
6.	-वही-	-वही-	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	807.88
7.	-वही-	-वही-	विषयाधीन देशों के अलावा कोई भी देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी उत्पादक	807.88
8.	-वही-	-वही-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	857.23

9.	-वही-	-वही-	विषयाधीन देशों के अलावा कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी उत्पादक	857.23
----	-------	-------	------------------------------------	------------	----------------	--------

***"विचाराधीन उत्पाद "डिस्पर्सन अनशिफ्टेड सिंगल - मोड ऑप्टिकल फाइबर" ("SMOF") है। उत्पाद के दायरे में डिस्पर्सन अनशिफ्टेड फाइबर (G.652) और बेंड असंवेदनशील सिंगल मोड फाइबर (G.657) शामिल हैं। डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर (G.653), कट-ऑफ शिफ्टेड सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर (G.654), और नॉन-ज़ीरो डिस्पर्सन शिफ्टेड फाइबर (G.655 और G.656) को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

***इस कमोडिटी का व्यापार FKM (फाइबर किलोमीटर)/KFKM (1 KFKM = 1000 FKM) में होता है। इस इकाई में अनुशंसित एडीडी एकत्र किया जाना चाहिए। तदनुसार, इसे सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।

2. इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा और भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/127/2023-टीआरयू-सेक्शन-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2023

No. 07/2023-Customs (ADD)

G.S.R. 586(E).— Whereas in the matter of 'Dispersion Unshifted Single – Mode Optical Fiber' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under chapter heading 9001 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR, Indonesia and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification No. 6/1/2022-DGTR dated the 5th May, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 5th May, 2023 read with corrigendum notification Case No. AD(OI) – 01/2022 under F. No. 6/1/2022-DGTR dated 30th June, 2023, has come to the conclusion that—

- (i) the subject goods have been exported to India from the subject countries below normal values;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from subject countries;
- (iii) the material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries,

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-

dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entries in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entries in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entries in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entries in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entries in column (7), of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	CTH Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty*** (USD/KFKM)
Col. (1)	Col. (2)	Col. (3)	Col. (4)	Col. (5)	Col. (6)	Col. (7)
1.	9001 10 00	Single – Mode Optical Fiber**	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Sterlite Fiber Technology Co., Ltd.	122.41
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Fasten Photonics Co., Ltd.	254.91
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Hangzhou Futong Communication Technology Co., Ltd.	464.08
4.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than S.Nos. 1 to 3 above	537.30
5.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	China PR	Any producer	537.30
6.	-do-	-do-	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer	807.88
7.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	Korea RP	Any producer	807.88
8.	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	Any producer	857.23
9.	-do-	-do-	Any country other than subject countries	Indonesia	Any producer	857.23

** The product under consideration is "Dispersion Unshifted Single – Mode Optical Fiber" ("SMOF"). The product scope covers Dispersion Unshifted Fiber (G.652) and Bend insensitive single mode Fiber (G.657). Dispersion Shifted Fiber (G.653), Cut-off shifted single mode optical Fiber (G.654), and Non-Zero Dispersion Shifted Fiber (G.655 & G.656) are specifically excluded from the scope of the PUC.

*** The trading of this commodity occurs in FKM (fibre kilometre)/KFKM (1KFKM = 1000 FKM). The recommended ADD should be collected in this unit. Accordingly, steps may be taken to ensure the same.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190354/127/2023-TRU Section-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.